

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(क)(या)()डीएलबी/21/67-686

अधिरूचना

जयपुर, दिनांक: २५/९/२०२१

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शारित में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के लिए निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 24.09.2021 से 31.03.2022 तक जमा कराने पर
1.	गृह कर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवारीय/व्यावसायिक भूखण्ड/ भवनों की गृहकर राशि एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत् प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2021-22 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर व्याज एवं शास्ति पर शत् प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में व्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

नोट:- उक्त छूट की अवधि दिनांक 24.09.2021 से 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक मन्त्री)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: २५/९/२०२१

क्रमांक प.8(क)(या)()डीएलबी/21/67-686-68190

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलक्टर, समरत राजस्थान।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समरत राजस्थान।
- आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समरत राजस्थान।
- महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, रथानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
- समरत अधिकारी निदेशालय।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग रागरत राजस्थान।
- प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
- अधीक्षक, क्षेत्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
- सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी